

एफ.संख्या 01-04/सा.प्र./2019-एफएसएसएआई
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
तृतीय तल, एफडीए भवन, कोटला रोड,
नई दिल्ली - 110002

दिनांक 04 अक्टूबर, 2021

संपूर्ण आंतरिक भागों, फर्नीचर और फिक्सचर, वातानुकूलित प्रणाली सहित सुसज्जित कार्यालय संरचना के निर्माण और कोटला रोड, नई दिल्ली-11002 के अन्य विविध और टेरेस, एमएमयू बिल्डिंग के निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त ठेकेदारों के चयन के संबंध में तृतीय तल, एफडी भवन, नई दिल्ली-110002 में 04-10.2021 को 11.00 बजे पूर्वाह्न आयोजित प्री-बिड बैठक का संक्षिप्त रिकार्ड

तृतीय तल एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में विषयीधीन कार्यों को संपन्न करने के लिए उपयुक्त ठेकेदार के चयन के लिए ऑनलाइन सीपीपी पोर्टल और एफएसएसएआई की वैबसाइट पर एक खुला टेंडर प्रकाशित किया गया था। 4 अक्टूबर 2021 को 11.00 बजे पूर्वाह्न एक प्री-विड बैठक आयोजित हुई थी। बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख 21 अक्टूबर 2021 रखी गई है। इस बैठक में एफएसएसएआई के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थिति थे: -

- (1) श्री रविन्द्र कुमार, सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन)
- (2) श्री पंकज गेरा, सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन)

इसके अतिरिक्त, बोली दाताओं द्वारा की जाने वाली पूछताछ के संबंध में सहायता उपलब्ध कराने के लिए श्री वेद प्रकाश, राठोड़, सिविल इंजीनियर (सेवा-निवृत्त), सीपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ विशेषज्ञ भी इस बैठक में उपस्थित थे।

प्री-बिड बैठक में निम्नलिखित संभावित बोलीदाता उपस्थित थे :

1. श्री धीरज नवानी, प्रोपराइटर, मैसर्स कामिनी कंस्ट्रक्शंस
2. श्री मनमोहन सिंह (सरकारी ठेकेदार)

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संभावित बोलीदाताओं ने प्रमुख रूप से दो प्रकार की पूछताछ की थी और निविदा दस्तावेज के संबंध में सुझाव दिए थे:-

क्र.सं.	प्रेक्षण	स्पष्टीकरण
(1)	क्या भौतिक स्वरूप की बोलियों (केवल तकनीकी) को जमा कराने की	यह स्पष्ट किया गया था कि यद्यपि यह आवश्यक नहीं है लेकिन बोलीदाता अपने

	आवश्यकता होगी क्योंकि कभी-कभी सभी दस्तावेज को अपलोड करना संभव नहीं होता तथापि यथा अपेक्षित न्यूनतम दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे।	प्रमाणों के संबंध में विस्तृत अथवा लम्बे प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता महसूस होने पर वे अनिवार्य ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के अलावा भौतिक रूप में तकनीकी बोली प्रस्तुत कर सकता है।
(2)	यह उल्लेख किया गया था कि महामारी के कारण और अन्य बाधाओं के कारण 10 का और समय बढ़ाया जाना चाहिए। श्रमिकों और सामग्रियों दोनों के लिए अधिक समय की जरूरत होगी।	इस बात से अवगत कराया गया कि अपेक्षित कार्यों और सेवाओं के लिए पहले ही पर्याप्त समय प्रदान किया गया है। इसके अलावा, कोरोना/लॉकडाउन जैसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए पहले ही प्रावधान को सम्मिलित कर लिया गया है। बोलीदाताओं द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई थी।

4. विचार-विमर्श के लिए कोई ओर मुद्दा न होने पर, बैठक स्थगित कर दी गई।

हस्ता/-
(रविन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक(सा.प्रशा.)

हस्ता/-
(पंकज गेरा)
सहायक निदेशक(सा.प्रशा.)

हस्ता/-
(वेद प्रकाश राठोड़)
सिविल इंजीनियर, सीपीडब्ल्यूडी (सेवानिवृत्त)
पैनलबद्ध वरिष्ठ विशेषज्ञ